न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–291/2017 (जीसीएमएस नं. 2017/00211)

01. श्रीमती संगीता सैनी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद सैनी, जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. श्रीमती रामकन्या पुत्री स्व. श्री मोती, पत्नी श्री घासी जाति माली निवासी हाल ग्राम सेवा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ग्राम निमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर।
02. सरकार जरिये तहसीलदार फागी जिला जयपुर।
03. रामस्वरूप पि.मु. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर।
04. श्योजी पुत्र स्व. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
05. माधो पुत्र स्व. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
06. जगदीश पुत्र स्व. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
07. प्रभाती पत्नी स्व. सूरजकरण पुत्री स्व. श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर। (मृतक दौराने अपील, नाम हजफ)
08. नन्दलाल पुत्र स्व. सूरजकरण, जाति माली जाति निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
09. कजोड़ पुत्र स्व. सूरजकरण जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
10. हरि पुत्र स्व. श्री हनुमान जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।
11. सायर पुत्र स्व. श्री हनुमान जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा तहसील फागी, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री निर्मल कुमार जैन, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 18.07.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीया ने आराजी खसरा नम्बर 1295 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में से गोपी पुत्र श्रीलाल, जाति माली व हनुमान पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी ग्राम निमेड़ा से उनके स्वामित्व व अधिकार की उक्त आराजी को

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

70,000/–रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.09.2002 को क्रय की गई थी उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक फागी के समक्ष दिनांक 17.09.2002 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 113 पेज संख्या 26 एडीशनल बुक संख्या 257 पेज नम्बर 75 से 87 क्रम संख्या 580 पर चस्पा किया गया है, उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करने के पश्चात् उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीया के हक में तस्दीक फरमा दिया गया जिसका इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी में भी कर दिया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना अन्य खातेदारों से मिलीभगत करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1461 दिनांक 06.09.1998 को निरस्त करवा लिया जिससे अपीलार्थीया के हक हकूक अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हुऐ है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 10 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1461 दिनांक 06.09.1998 को तस्दीक किया गया था जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.11.2015 को 17 वर्ष की दीर्घअवधि के पश्चात् आधारहीन तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर प्रस्तुत की गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिसका विस्तृत जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू को तय किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त निर्णय करने से पूर्व मियाद के बिन्दु को तय करना कानूनी रूप से आवश्यक था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1461 दिनांक 06.09.1998 राजस्व अभियान समस्या समाधान शिविर में हजारों लोगो की उपस्थिति मे स्वीकार फरमाया गया था जहॉ पर कलक्टर, तहसीलदार, पटवारी व हजारों ग्रामीण मौजूद थे उनकी उपस्थिति में कब्जे, स्वामित्व आदि की जॉच कर तस्दीक किया गया था, रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में यह कही भी वर्णन नही किया कि उसने अपने स्व. पिता व माता धन्नीदेवी की सेवा सुश्रषा की हो तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् क्रियाकर्म किये हो जबकि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 विवाह के पश्चात् से ही अपने ससुराल में निवास करती है तथा उसका उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही थी जबकि अपीलार्थीया सहखतोदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया को बिना नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 1461 को खारिज फरमा दिया है

P.T.O.

अतिरिक्त आयुक्त

तथा उक्त निर्णय से अपीलार्थीया के महत्वपूर्ण हित अधिकार सीधे–सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थीया की लोकस स्टेण्डाई है इसलिये अपीलार्थीया को उक्त अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना आवश्यकीय है तथा अपीलार्थीया को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 23.07.2017 को हुई जब रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के व्यक्ति मौके पर आये तथा कहा कि उक्त भूमि बाबत हमने न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर रखा है तो अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त निर्णय बाबत जानकारी की तथा उक्त निर्णय दिनांक 12.06.2017 की नकल हेतु आवेदन कर नकल दिनांक 26.07.2017 को प्राप्त कर अधिवक्ता नियुक्त कर अविलम्ब जानकारी की दिनांक से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के माता–पिता की विरासत के सम्बन्ध में रहा है जिसमें अपीलार्थीया संगीता को पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नही थी। यदि अपीलार्थीया द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चाचाओं से किसी प्रकार की आराजी का क्रय किया गया है तो उससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक, हकूक, अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता क्योंकि प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के माता पिता की विरासत का है तथा अपीलार्थी द्वारा यदि आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चाचाओं से क्रय की गई है तो उसके लिये वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चाचाओं की आराजी पर अपना क्लेम करना चाहिये ना कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक, हकूक अधिकारो पर उज्रात करे। इस प्रकार के उज्रात करने का कानूनन अधिकार अपीलार्थीया को नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा मृतक श्रीलाल पुत्र पन्ना जाति माली निवासी निमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर का रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा का देहान्त हुआ तब उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 816 ग्राम पंचायत निमेड़ा ने मृतक श्रीलाल के पांचों पुत्रों गोपी, किशना, सूरजकरण, मोती व लक्ष्मीनारायण के नाम स्वीकार किया तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के पिता मोती का देहान्त होने पर उसकी विरासत उसकी माता धन्नी के नाम स्वीकृत हुआ तथा मृतक मोती व धन्नी की एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामकन्या है जो उनकी जायन्दा पुत्री है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वह प्रथम श्रेणी में एकमात्र वारिस होने से उनकी मृत्यु के पश्चात् मृतक धन्नी की एकमात्र उत्तराधिकारी है, उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 1461 जो धन्नी के फौत होने पर उसके चारों देवरों के एवं उनके वारिसों के नाम 1/4–1/4 हिस्सा तहसीलदार फागी ने विधि विरूद्ध अवैध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित स्वीकार किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य ही था।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दिनांक 20.12.2014 को पटवारी हल्का के पास जाकर अपने हिस्से की उक्त भूमि का किसान कार्ड बनाने के लिऐ गयी तो पटवारी हल्का निमेड़ा ने बताया कि तुम्हारे माता–पिता की खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण तो तुम्हारे चाचाओं ने मृतक मोती व धन्नी को नालौलाद बताकर उसके 1/5 हिस्से की भूमि नामान्तरकरण संख्या 1461 वर्ष 1998 में खुलवा लिया। इस पर अपीलार्थी को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उसी दिन पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की एंव उसके पश्चात् उक्त विवादित आराजीयात के अन्य दस्तावेजों की नकले प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्त उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीया द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1295 रकब 3 बीघा 11 बिस्वा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1461 निरस्त किये जाने से अपीलार्थीया सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार है जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है जिस कारण से अपीलार्थीया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रही है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2017 द्वारा प्रकरण तहसीलदार फागी को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्ष को पुनः सुनवाई, साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया है। ऐसे में अपीलार्थीया को भी अपना पक्ष रखने का मौका एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार फागी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2017 के अनुसरण में अपीलार्थीया को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं समुचित सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर